



राजस्थान सरकार  
कार्यालय उपसचिव अतिरिक्त, छीपाबडोद, (बारां)  
ज़िला - बारां  
जाति प्रमाण - पत्र



संक्रमांक: RJ/2017/राजस्थान विभाग/जाति का प्रमाण-पत्र (अ.जा./अ.न.जा.) /20250008013  
दिनांक: 06-02-2020  
आवेदक का आधार नम्बर : 873867358027  
आवेदक/परिवार के मुखिया का धामासाह कार्ड संख्या :

प्रमाणित किया जाता है कि श्री योगेन्द्र कुमार मेघवाल पुत्र/पुत्री श्री रामनारायण गांव/नगर घाम रांवा पोस्ट साई तहसील छीपाबडोद जिला/डिवीज़न बारां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में 46 MEGHVAL (46 मेघवाल) जाति/समुदाय का/की है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियां (संशोधन) आदेश 1956, साबई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा तथा संगठित संविधान (समूह व कस्बीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा तथा संगठित संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (द्वारका तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962, संविधान (द्वारका तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962, संविधान (पाठेश्वर) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (मोअ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (मागाहीठ) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

श्री योगेन्द्र कुमार मेघवाल गांव/नगर घाम रांवा पोस्ट साई तहसील छीपाबडोद जिला / डिवीज़न बारां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में समान्यतया रहता / रहती है।

नोट:

1. यहाँ प्रयोग सम्बन्धित: निवासी का अर्थ वही होगा जो नव प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अतिरिक्त विभाग की अधिसूचना सं. एक 21(37) एन.ने.ई./कम्प्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र सिविल द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेज़ों के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेज़ों की प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेज़ों में के सम्बन्धित प्रदत्त अधिकारी निम्नके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन [www.emitra.rajasthan.gov.in](http://www.emitra.rajasthan.gov.in) पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION में Online सत्यापित किया जा सकता है। टोलफ्री संख्या: 200260923800

उपसचिव अतिरिक्त, छीपाबडोद, बारां

Signature valid

Digitally signed by Neelshara Kumar Meena  
Designation: SUB-DIVISIONAL OFFICER  
Date: 2020.02.06 15:05:27 IST  
Reason: Approved

